

FORM NO. III

आदेशिका

(नियम 26)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर (राज.)

महंगा सिंह विरुद्ध जमाना बाई

प्रकरण का प्रकार 225 R.T.A क्रमांक 150/2015 सन् 20

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
-------------	---	---

31-12-17

वकील उमप पद उणव वकील नेपोने अच्ची न्याया के मूल वाद के निर्णय की प्रति पत्र का निवेदन दिया कि उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 R.T.A के तहत 212 RTA के विरुद्ध जो की गई है जब अच्ची न्याया में उक्त वाद का निर्णय हो चुका है तो 212 RTA के विरुद्ध 225 R.T.A की अपील का कोई अर्थ नहीं है अतः अपील अपील स्वार्थीय को जमाना उमप पद की सहमति से आचार्य पर अपील अपील इमी स्तर पर स्वार्थीय की जानी है निर्णय पत्रावली वाद न 212 तफसील नम्बर से कम होकर अभिकेवागाल में जमा हो



राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)